

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व नद 109 / 2022(2022 / )

1. भंवर नरेन्द्रसिंह पुत्र देवराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नाडी पटवार हल्का घटियाली, तहसील सावर जिला अजमेर।

--- प्रार्थी

♣ बनाम ♣

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित -

वकील :- श्री महेन्द्र जोशी

पैरोकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
225-1011	1613	0.3700	चाही 1 जाव 1
	किता 1	रकबा 0.80	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काशत स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी ही बतोर खातेदार काशतकार दर्ज है प्रार्थी का कब्जा काशत निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार काशतकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते हैं जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 6.6.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब



उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)

टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.स.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम नाडी तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 225-1011 के खसरा संख्या 1613, रकबा 0.3700 हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(विकारा पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)